

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनराक्षतवाद/ अपीलवाद

संख्या.....70.....

वर्ष 20.23.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्ता श्री उत्तम कुमार साहा एवं
अन्य, माफ-लोगाई, पण-पर्सिया,
प्रण-रजमहल, जिला- साहेबगंज ।
प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा, साहेबगंज ।

बनाम

कद आरंभ की तिथि

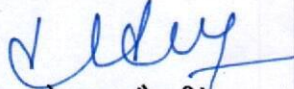
27/12/2023.

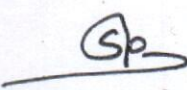
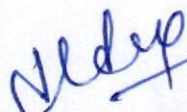
DISPOSED

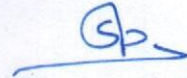
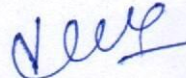
हस्ताक्षरयुक्त आदेश

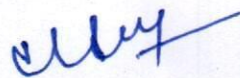
आदेश की
तिथि

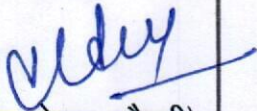
कार्यालय
अभ्युक्ति

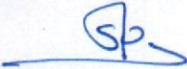
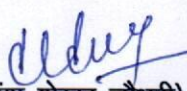
आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<u>वाद सं०-70/2023</u> परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक-20.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में उल्लेख है कि परिवादीगण को माह अगस्त एवं सितम्बर का राशन वितरण नहीं किया गया है। यह भी कि इनके द्वारा पूर्व में विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिया गया किन्तु इसपर कार्रवाई नहीं हुई। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक-11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

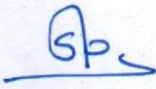
आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	<u>वाद सं०-70 / 2023</u> अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर प्रमाण पेश करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-30.01.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

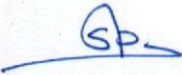
आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	<u>वाद सं०-70 / 2023</u> अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम-लोगाई, पं०-पड़रिया, प्र०-राजमहल, साहेबगंज वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई में दोनों पक्ष अनुपस्थित थे। पिछली सुनवाई दिनांक-11.01.2024 को हुई थी। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहे। जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज का ना तो कोई पक्ष आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है ना वो या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित रहे। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता की शिकायतों का निदान करते हुए निदान कर लिये जाने और बकाया राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-12.02.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.02.2024	<u>वाद सं०-70/2023</u> अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम-लोगांई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-121 दिनांक-10.02.2024 के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है। जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने पर दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि सहमति के आलोक में शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.02.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	वाद संख्या-70/2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक-12.02.2024 को हुई थी। जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज ने आयोग को पत्रांक-121 दिनांक-10.02.2024 के माध्यम से यह बताया था कि परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा, ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज एवं श्री गोविन्द हेम्ब्रम, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पुत्र श्री संतलाल हेम्ब्रम के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने पर दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान किया गया था। ऐसे में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश दिया था कि सहमति के आलोक में शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें। आयोग के अभिलेख में इस आशय का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। आज शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर यह बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष हुई बैठक के बाद डीलर ने सिर्फ एक माह का बकाया राशन उपलब्ध कराया है, जबकि उनसे कुल-03 बार अंगूठा लगवा लिया गया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे इस बात की जाँच करें कि राशन डीलर ने बिना राशन उपलब्ध कराये अंगूठा किस परिस्थिति में लगवाया ? साथ ही शिकायतकर्ता को बकाया 05 माह का राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें। किसी भी वाद में दोनों पक्षों में समझौता करा देना खाद्य आयोग पर्याप्त नहीं मानता। खाद्य आयोग का उद्देश्य लाभुक को हर हाल में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुकूल शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-20 की उपधारा-02 के तहत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-11.03.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.03.2024	<u>वाद सं०-70/2023</u> अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज Video Conference के माध्यम से उपस्थित।। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। आयोग के 28.02.2024 के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। आज के सुनवाई में अनुपस्थित रहे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज से सम्पर्क करने पर उन्होंने ने बताया कि उनका जिले से स्थानांतरण हो गया है और नये जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि आयोग के 28.02.2024 के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करे अन्यथा उनके विरुद्ध आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.03.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	वाद संख्या-70/2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा, एवं अन्य, ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अनुपस्थिति और आयोग के आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण पेश नहीं करना एक गंभीर विषय है। हो सकता है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 की व्यस्तता के कारण अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शिकायतों के अनुपालन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हों। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वे सभी जिले के उपायुक्त को एक पत्र प्रेषित कर आदेश दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का हनन न होने पाये और अधिकारी लाभुकों को अधिकार न मिलने पर आयोग की निर्देशों एवं लाभुकों की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभुक को खाद्यान्न का संकट न हो। दिनांक-11.03.2024 की सुनवाई में दिये गये आदेश के अनुपालन किये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को नहीं भेजा है। आज की सुनवाई में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं। इस बीच सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है और बकाया राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग उपायुक्त, साहेबगंज को निर्देश देता है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस आशय का स्पष्टीकरण पूछें कि आयोग के निर्देश के बावजूद वे सुनवाई में क्यों नहीं उपस्थित हुए और आयोग के आदेश का अनुपालन का प्रमाण क्यों नहीं भेजा गया ? आयोग उपायुक्त, साहेबगंज को निर्देश देता है कि वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से शिकायतकर्ता के शिकायत का निदान कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को अगली सुनवाई में पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-12.04.2024 को रखें।  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	वाद संख्या-70 / 2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्रा0-लोगाई, पं0-पड़रिया, प्र0-राजमहल, जिला-साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा पत्रांक-314 दिनांक-09.04.2024 के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के साथ शिकायतकर्ता का एक आवेदन भी संलग्न कर भेजा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बकाया अनाज मिलने और इस वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया है। आयोग की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज श्री जे0 के0 मिश्रा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे में आयोग उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं शिकायतकर्ता के आग्रह के आलोक में इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	